न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – रामनिवास मेहता आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
62/2023	18/05/2023	28/5/2025

परमानन्द पुत्र श्रीकिशन जाति–खाती, निवासी–1 एफ 3 महावीर नगर थर्ड, तहसील–लाडपुरा, जिला– कोटा राज.

(वादी)

बनाम

(1.) गिर्राज पुत्र रामकरण, जाति–खाती, निवासी–204, आर के पुरम, कोटा तहसील–लाडपुरा, जिला कोटा राज.
(2) जगदीश पुत्र रामकरण, जाति–खाती, निवासी–204, आर के पुरम, कोटा तहसील–लाडपुरा, जिला– कोटा राज,
(3.) देवकरण पुत्र रामकरण, जाति–खाती, निवासी–204, आर के पुरम, कोटा तहसील–लाडपुरा, जिला– कोटा राज.
(4) पूरणमल पुत्र रामकरण, जाति–खाती, निवासी–204, आर के पुरम, कोटा तहसील–लाडपुरा, जिला– कोटा राज.
(5) रघुवीर पुत्र रामकरण, जाति–खाती, निवासी–204, आर के पुरम, कोटा तहसील–लाडपुरा, जिला कोटा राज.
(6.) लक्ष्मीचन्द पुत्र रामकरण, जाति–खाती, निवासी–204, आर के पुरम, कोटा तहसील–लाडपुरा, जिला– कोटा राज
(7.) रामकन्या पत्नी रामकरण, जाति–खाती, निवासी–204, आर के पुरम, कोटा तहसील–लाडपुरा, जिला– कोटा राज
(8.) राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राज।

(प्रतिवादीगण)

उपस्थित अधिवक्तागण–
श्री भागवन्त सिंह आसावत वकील वादी
प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा

निर्णय दिनांक 28/5/25
वाद वादी अर्न्तगत धारा–53, 188 आर.टी. एक्ट

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी तथा प्रतिवादीकम 1 ता 7 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त में सनमानपुरा, पटवार क्षेत्र–सनमानपुरा, भू०अभि० क्षेत्र–बोरदा, तहसील– पीपल्दा, जिला कोटा, राज, में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2074–2077 खाता न० नया 95 पुराना 80 पर ख.न.–509 रकबा 0.35 हेक्टे०, ख.न.–649 रकबा–2.41 हेक्टे०, ख.न.–659 रकबा 0.81 हेक्टे०, कुल किता 3 कुल रकबा 3.57 हे०. भूमि स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि को वाद पत्र की आगे की मदो में विवादित आराजी कहा गया है। यह कि विवादित आराजी मद न० 1 में वर्णित भूमि वादी की पैतृक आराजी है जिस पर वादी का 1/2 हिस्सा का संयुक्त खातेदार कृषक है तथा वादी अपने हिस्से मुताबिक विवादित आराजी पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

है। किन्तु राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। किन्तु राजस्व रिकार्ड में विभाजन नहीं होने से वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. तथा वादी को भूसुधार व अपने कृषि विकास कार्यों को करवाने में परेशानी आ रही है तथा संयुक्त रूप से काश्त करने में वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 7 के मध्य आये दिन वाद विवाद होता रहता है, तथा प्रतिवादी कम 1 ता 7 सहमति से विभाजन करवाने को तैयार नही हो रहे है. इस कारण वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह विवादित आराजी में अपने निहित हिस्सा 1/2 हिस्सा भूमि को विभाजित करवाये। यह कि विवादित आराजी से वादी मद न० 1 में वर्णित भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि का सहखातेदार एंव सयुक्त रूप से काबिजि कृषक है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी को विभाजित करवाने हेतु कई बार निवेदन करने पर भी विभाजन करवाने को तैयार नहीं हो रहे हैं तथा वादी को उसके हिस्से की भूमि की काश्त में बाधा डाल रहे हैं। प्रतिवादी कम 1 ता 7 विवादित आराजी पर से वादी को जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने पर आमादा है तथा प्रतिवादीगण आये दिन वादी के हिस्से की भूमि में उनके शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में मदाखलत व मजाहमत करते रहते है तथा विवादित आराजी को खुर्द बुर्द रहन बैचान आदि प्रकार से बिना विभाजन करवाये हस्तान्तरित करने पर आमादा है तथा वादी ने दिनांक 26/04/2023 को प्रतिवादी कम 1 ता 7 से विवादित आराजी को तहसील में चलकर विभाजन करवाने का निवेदन किया किन्तु प्रतिवादी कम 1 ता 7 ने विभाजन करवाने से साफ इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादी कम 1 ता 7 ने विवादित आराजी में वादी के हिस्से पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी, इस कारण प्रतिवादी कम 1 ता 7 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हो गया है। यह कि प्रतिवादी कम 8 लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है प्रतिवादी कम 8 राजस्थान राज्य का विधिक प्रतिनिधि हैं जिनके विरुद्ध वाद लाने हेतु 80 सी. पी.सी. के प्रावधानो के तहत मियादी 60 दिवसीय नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु वाद की आवश्यक प्रकृति को देखते हुये वाद 80 (2) सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र बाबत अनुमति संलग्न वादपत्र है। यह कि वाद कारण दिनाक 26/04/2023 को प्रतिवादी कम 1 ता 7 द्वारा विवादित आराजी का विभाजन करवाने से इन्कार करने तथा वादी की शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में अवरोध उत्पन्न करने तथा कब्जा करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ।

विवादित आराजी ग्राम–सनमानपुरा, पटवार क्षेत्र–सनमानपुरा, भू०अभि क्षेत्र–बोरदा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा, राज. में स्थित ख.न.–509 रकबा 0.35 हेक्टे०, ख.न.–649 रकबा 2.41 हेक्टे०, ख.न.–659 रकबा 0.81 हेक्टे०, कुल किता 3 कुल रकबा 3.57 हे0 में वादी के निहित 1/2 हिस्सा का विभाजन किया जाकर, वादी का पृथक खाता व पृथक लगान कायम किया जावे तथा वादी को विभाजन में प्राप्त भूमि पर पत्थरगढी करवायी जाकर विभाजन अनुसार काबिज करवाया जावे तथा उसका राजस्व रिर्काड में अमल दरामद किया जावे।

यह है कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह न तो स्वयं न ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विवादित भूमि मद न० 1 में वर्णित में ग्राम–सनमानपुरा, पटवार क्षेत्र–सनमानपुरा, भू०अभि क्षेत्र–बोरदा, तहसील– पीपल्दा, जिला कोटा, राज. में स्थित ख.न.–509 रकबा 0.35 हेक्टे०, ख.न.–649 रकबा 2.41 हेक्टे०, ख.न.–659 रकबा 0.81 हेक्टे०, कुल

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

किता 3 कुल रकबा 3.57 हे0 में वादी के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नही करे वादी को बेदखल नहीं करे तथा खरू25 च्छ, 4/18/2025, अपरंलानउंत55754रू विवादित आराजी को बिना विभाजन करवाये किसी प्रकार से खुर्द बुर्द रहन, बैचान, दान आदि किसी प्रकार से हस्तान्तरण आदि नही करे। (स.) कि अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे प्रदान करें।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादीगण बाद तामील उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गयी वादी अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबन्दी पी.डब्लू. प्रर्दश पी.डब्लू. 1, प्रस्तुत किये, पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की जाकर साक्ष्य वादी ली गयी वादी द्वारा साक्ष्य वादी में पी.डब्लू. 1 व पीडब्लू 2 के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये साक्ष्य वादी बन्द की जाकर, पत्रावली में बहस सुनी गयी। प्राथमिक डिकी जारी की गई। तहसीलदार पीपल्दा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन पत्र के आधार पर विवादित भूमि ग्राम–सनमानपुरा, पटवार क्षेत्र–सनमानपुरा, भू०अभि क्षेत्र–बोरदा, तहसील–पीपल्दा, जिला कोटा, राज. में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2074–2077 खाता न० नया 95 पुराना 80 पर ख.न.–509 रकबा 0.35 हेक्टे०, ख.न.–649 रकबा 2.41 हेक्टे०, ख.न.–659 रकबा 0.81 हेक्टे०, कुल किता 3 कुल रकबा 3.57 हे0 भूमि वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 7 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त में दर्ज है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज है, तथा संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त में दर्ज है तथा जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा का खातेदार कृषक है। वादी व प्रतिवादीगण मुताबिक जमाबन्दी हिस्सानुसार सहखाततेदार कृषक है तथा वादी उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विभाजन किया जावे।

क0सं0	ख0नं0	रकबा	लगान
1. परमानन्द पुत्र श्री किशन जाति खाती सा0 सनमानपुरा रहन–पीएनबी शाखा इटावा (वादी)	509 उत्तर 659 उत्तर 649 उत्तर	0.18 0.41 1.20	5.76 13.12 38.40
कुल	3	1.79	57.28
2. गिर्राज, जगदीश, देवकरण, पूरणमल, रघुवीर, लक्ष्मीचन्द पुत्रान रामकरण रामकन्या पत्नि स्व0 रामकरण हि0 पूर्ण जाति खाती सा0 सनमानपुरा (प्रतिवादीकम 1 ता 7)	509 दक्षिण 659 दक्षिण 649 दक्षिण	0.17 0.40 1.21	5.44 12.80 38.72

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

कुल	3	1.78	56.96

प्रतिवादीकम 8 को आदेश दिया जाता है कि तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिकी जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक–28/5/2025 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी, इटावा
(कोटा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(आ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी- रामनिवास मेहता आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
62/2023	18/05/2023	28/5/2025

परमानन्द पुत्र श्रीकिशन जाति-खाती, निवासी-1 एफ 3 महावीर नगर थर्ड, तहसील-लाडपुरा, जिला- कोटा राज.

(वादी)

बनाम

(1.) गिर्राज पुत्र रामकरण, जाति-खाती, निवासी-204, आर के पुरम, कोटा तहसील-लाडपुरा, जिला कोटा राज.

(2) जगदीश पुत्र रामकरण, जाति-खाती, निवासी-204, आर के पुरम, कोटा तहसील-लाडपुरा, जिला- कोटा राज,

(3.) देवकरण पुत्र रामकरण, जाति-खाती, निवासी-204, आर के पुरम, कोटा तहसील-लाडपुरा, जिला- कोटा राज.

(4) पूरणमल पुत्र रामकरण, जाति-खाती, निवासी-204, आर के पुरम, कोटा तहसील-लाडपुरा, जिला- कोटा राज.

(5) रघुवीर पुत्र रामकरण, जाति-खाती, निवासी-204, आर के पुरम, कोटा तहसील-लाडपुरा, जिला कोटा राज.

(6.) लक्ष्मीचन्द पुत्र रामकरण, जाति-खाती, निवासी-204, आर के पुरम, कोटा तहसील-लाडपुरा, जिला- कोटा राज

(7.) रामकन्या पत्नी रामकरण, जाति-खाती, निवासी-204, आर के पुरम, कोटा तहसील-लाडपुरा, जिला- कोटा राज

(8.) राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राज।

(प्रतिवादीगण)

उपस्थित अधिवक्तागण-

श्री भागवन्त सिंह आसावत वकील वादी

प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा

निर्णय दिनांक 28/5/25

वाद वादी अर्न्तगत धारा-53188 आर.टी. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री भागवन्त सिंह आसावत एडवोकेट मिनजानिब मुददई रूबरू................ मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि बोरदा, तहसील-पीपल्दा, जिला कोटा, राज. में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2074-2077 खाता न० नया 95 पुराना 80 पर ख.न.-509 रकबा 0.35 हेक्टे०, ख.न.-649 रकबा 2.41 हेक्टे०, ख.न.-659 रकबा 0.81 हेक्टे०, कुल किता 3 कुल रकबा 3.57 हे0 भूमि वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 7 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त

उपखण्ड अधिकारी इटावा

में दर्ज है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज है, तथा संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त में दर्ज है तथा जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा का खातेदार कृषक है। वादी व प्रतिवादीगण मुताबिक जमाबन्दी हिस्सानुसार राहखातेदार कृषक है तथा वादी उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विभाजन किया जावे।

क0सं0	ख0नं0	रकबा	लगान
1. परमानन्द पुत्र श्री किशन जाति खाती सा0 सनमानपुरा रहन–पीएनबी शाखा इटावा (वादी)	509 उत्तर 659 उत्तर 649 उत्तर	0.18 0.41 1.20	5.76 13.12 38.40
कुल	3	1.79	57.28
1. गिर्राज, जगदीश, देवकरण, पूरणमल, रघुवीर, लक्ष्मीचन्द पुत्रान रामकरण रामकन्या पत्नि स्व0 रामकरण हि0 पूर्ण जाति खाती सा0 सनमानपुरा (प्रतिवादीकम 1 ता 7)	509 दक्षिण 659 दक्षिण 649 दक्षिण	0.17 0.40 1.21	5.44 12.80 38.72
कुल	3	1.78	56.96

प्रतिवादीकम 8 को आदेश दिया जाता है कि तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिकी जारी की जाती है।

डिकी मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 28/5/25 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुददई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0		
मिलान		

बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0		
मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा